

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का निम्नानुसार स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर असाधारण/अवैतनिक अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) के अनुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या
01	अनिता, महात्मा गांधी उमावि, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर	गृह विज्ञान	असाधारण अवकाश	05.01.2021 से 30.04.2022	480 दिवस

उक्त कार्मिक का उक्त अवधि का असाधारण अवकाश वेतन वृद्धि प्रभावित होने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। यदि उक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।

(सौरभ स्वामी)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश(2)/2019-20

दिनांक 08/06/21

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/राबाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक .....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर